UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

RECRUITMENT BRANCH
SPECIAL CELL- II SECTION

Recruitment Test for recruitment to:Nine vacancies for the post of Deputy Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) in Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs (SC-01, ST-01, EWS-02, UR-05). [Adv. No. 10/2024, Vacancy No. 24051020625].

TIME TABLE &INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

PLEASE CAREFULLY READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS, VIOLATION OF ANY INSTRUCTION WILL RENDER THE CANDIDATE LIABLE TO SUCH ACTION AS THE COMMISSION MAY DEEM FIT TO TAKE.{***THE CANDIDATES ARE ADVISED TO BRING THIS COPY OF INSTRUCTIONS TO THE TEST (RECRUITMENT TEST) HALL FOR REFERENCE***}

TIME TABLE

DATE & DAY	INDIAN STANDARD TIME	SUBJECT &SUBJECT CODE
20th October, 2024 (SUNDAY)	02.00 P.M. to 04.00P.M.	GAT-DCIO (04)

NOTES:

CANDIDATES' REPORTING TIME AT TESTVENUE IS 90 MINUTES ($1\frac{1}{2}$HOUR) BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE TEST.

ENTRY INTO THE TEST VENUE WILL BE CLOSED 30 MINUTES BEFORE THE SCHEDULED COMMENCEMENT OF THE RECRUITMENT TEST I.E. 01.30 P.M

CANDIDATES MUST BRING HARD COPY(PRINT OUT) OF HIS/HER E-ADMIT CARD TO THE TEST HALL TO SECURE ADMISSION. A CANDIDATE WHO DOES NOT PRODUCE HIS/HER E-ADMIT CARD FOR CHECKING AT THE ALLOTTED VENUE SHALL NOT BE ALLOWED TO TAKE THE TEST.

I. Scheme of the Test:

(a) The test will be of two hours duration.
(b) All questions will carry equal marks.
(c) The test will be objective type questions with multiple choices of answer.
(d) The medium of the test will be English.
(e) There will be penalty for wrong answers. Every wrong answer will carry a deduction of one-third of the marks assigned to that question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for that question.
(f) The Test will carry a maximum of 300 marks.

II. Syllabus of the Test:

1) Engineering Aptitude covering logical reasoning and analytical ability.
2) Electronic Devices and Circuits.
3) Digital Electronics.
4) Computer Programming and Data Structures.
5) Analog and Digital Communications.
6) Microwave Engineering, RADAR Systems.
7) Satellite Communications.
8) Signals and Systems, Digital Signal Processing.
9) Computer Organization and Operating Systems.
10) Computer Networks and Cyber Security.
11) Wireless Communications and Networking.
12) Artificial Intelligence.
13) Internet of Things.

.

III. Weightage:

Selection will be done based on marks scored in the Recruitment Test (RT) and Interview. RT and the Interview shall carry weightage of 75:25 respectively. Only those candidates shortlisted in the RT and who fulfil all the eligibility conditions for the post shall be called for the interview.

IMPORTANT NOTES:

A. The Candidate must take the Test only at the Test Venue indicated in the e-Admit Card only.If the Candidate appears at any other Test Venue, his candidature is liable to be cancelled.

B. As for candidates shortlisted in the RT, the scrutiny would be done on the basis of documents uploaded by them at the time of filling of Online Application (ORA) for the subject post. However, candidates may be asked through e-mail to furnish the deficient documents, if required. Their documents will be scrutinized and those candidates who fulfill all the eligibility conditions of the posts shall be called for interview.

C. The Candidates are directed to undertake the Recruitment Test at their own risk i.e. after verifying that they fulfill the qualifications as prescribed in the Advertisement, and their admission to the Test is purely 'provisional'.

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

E-ADMIT CARD:

1 **e-Admit cards of the candidates will be released one week prior to the date of examination.**

1.1 Immediately on downloading of the e-Admit Card,the candidate should check it very carefully and bring to the notice of the Union Public Service Commission the discrepancies, if any, without loss of time. Special attention may be paid to the subject of the Test. Efforts will be made to upload the revised e-Admit Card(s) at

the earliest in case of discrepancies. He/She must read carefully the Important Instructions mentionedtherein.He/she mustbringhardcopy(print out) ofhis/her e-Admit Card to the TEST Hall to secure Admission. The candidates who do not have clear photographs on the e-admit card will have to bring two passport size photographs for appearing in the Recruitment Test with an undertaking along with photo identity proof viz. Aadhar Card, Driving License, Passport, Voter I.D. etc.**A candidate who does not produce his/her e-admit card for checking at the allotted venue should not be allowed to take the examination.**

1.2 The candidate is responsible for the safe custody of the e-Admit Card. In the event of one's e-Admit Card being used by any other person for securing admission to the Test, the onus lies on the candidate to prove that he/she has not secured the service of an impersonator.

1.3 The candidates are allowed only to take with them e-admit card, pen, identity proof, copies of self-photographs and any other item as specified in the instructions of the e-admit card.

1.4 The candidate must bring the e-Admit Card to the TEST Hall. After entering the TEST Hall, the candidate must fill the AttendanceList as per instructions and sign the Attendance Listwhich will be produced before him/her by the Invigilator and then hand over the Attendance List to the Invigilator.

1.5 Candidates are required to use the specific space, available at the designated place in the answer copy, for rough work. Copy of the admit card or any other space/sheet etc should not be used for rough work.

1.6 Violation of any instruction(s) shall entail cancellation of candidature of candidate in addition to any other appropriate action that may be taken by the Commission against the candidate under the Rules of the test.

<u>CONDUCT OF THE RECRUITMENT TEST:</u>

2 Seating Plan for the candidates will be displayed at the venue of the TEST on the day of Recruitment Test. The candidates, before proceeding to the TEST halls/rooms, are advised to check the exact location of their seats.

2.1 The candidate is required to encode/write the serial number of the OMR Sheet and Serial Number and Series of Test Booklet issued to him/her in the Attendance lists, which will be produced before him/her by the Invigilator.

2.2 The candidate is requested to reach the Venue well in advance to undergo frisking. He/She will be allowed to enter the TEST Hall 90 minutes/ $\mathbf{1\frac{1}{2}}$hour before prescribed time for the commencement of the Test and get seated immediately on the seat bearing his/her Roll Number.

2.3 The candidate must attempt questions in accordance with the directions given on the Test Booklet.

2.4 The OMR Sheet will be supplied by the Invigilator of the TEST Hall. The candidate will not be provided any separate sheet for rough work as blank sheets for rough work will be appended at the end of the Test Booklet itself.

2.5 The candidate must mark the answers himself/herself with Black Ball point pen by blackening the appropriate circle. Under no circumstances, the candidate will be allowed the help of any other person to mark responses.

2.6 The candidate shall neither copy from the papers of any other candidate, nor permit his/her own papers to be copied. No attempt should be made to obtain any kind of unauthorized assistance. There should NOT be any other marking on the OMR sheet.

2.7 No candidate shall go outside the TEST Hall for any purpose, whatsoever, without prior permission of the **Invigilator on duty/Supervisor.**

2.8 When going to the toilet the candidate should turn his/her OMR sheet upside down.**Further, an official of the venue will check the candidate for any unwanted item in his/her possession viz. mobile, papers, torn pages of a question booklet etc. and he/she must be accompanied by an official of the venue. Furthermore, an official must be deputed outside every toilet of the Venue during the conduct of the Examination to keep watch on the candidates and the time spent by them in the toilet.**

2.9 No candidate shall be permitted to leave TEST Hall till expiry of the allotted time.

2.10 No candidate shall be allowed to go to the toilet during the last 30 minutes of the Test.

2.11 A signal will be given at the beginning of the TEST; at half time and five minutes before the closing time. There will also be a final signal at the closing time. The candidate must not continue to mark or revise his/her answers after the expiry of the time allotted for the paper.

2.12 On completion of the Recruitment Test, the candidate shall continue to be seated and wait until OMR Sheet is collected and is allowed to go by the Invigilator. The candidate should not engage in conversation with any other candidate after the expiry of the allotted time.

2.13 The candidates should not crowd near or loiter in and around the TEST Hall/Room after leaving the Hall/Room.

2.14. Silence must be observed at all times in the TEST Hall/Room.

2.15. The candidate must abide by the instructions on the cover of the Test booklet and on the OMR Sheet and such further instructions as may be given by Supervisor/Invigilator of the Test. If the candidate fails to do so or indulges in disorderly or improper conduct, he/she will render himself/herself liable to expulsion from the Test and/or such other punishment as the Commission may deem fit to impose.

2.16 The candidate will furnish such necessary and correct information as may be required from him/her in the TEST Hall by the Invigilator/Assistant Supervisor/Supervisor/other persons so authorized.

HANDLING OF OMR /TEST BOOKLET:

3.1 Write clearly inBlack Ball point pen the Centre, Subject, Subject Code, Series of the Test Booklet and Roll Number in spaces provided in the OMR Sheet. Encode in Black Ball point pen the Booklet Series, Subject Code and Roll Number in the circles provided for the purpose in the OMR Sheet.

3.2 The Test Booklet Series is indicated on top right hand corner of the Test Booklet. Encode clearly test Booklet Series A, B, C or D as the case may be in the box on top of the OMR Sheet. In case the BookletSeries is not printed on Test Booklet or OMR Sheet is un-numbered, the matter may be reported immediately to the invigilator concerned and the Test Booklet/OMR Sheet may be got replaced.

3.3 The encoding of Test Booklet Series done by each candidate should tally with encoding of Test Booklet Series made by the invigilator at the appropriate space provided in the OMR sheet on the left hand margin with reference to series printed on the cover page of the Test Booklet.

3.4 All the corrections and changes in writing the Roll Number must be initialed by the candidate as well as by the invigilator and countersigned by the supervisor.

3.5 Immediately after the commencement of the test, the candidate should check that the Test Booklet supplied to him/her does not have any unprinted or torn or missing pages or items. If so, he/she should bring it to the notice of the invigilator and get it replaced by a complete Test Booklet of the same series.

3.6 The candidate must not write his/her name or anything else except the specific item of information asked for in the OMR Sheet/Test Booklet.

3.7 The candidate must take care to ensure that the OMR Sheet is not folded, mutilated or torn during handling. There should be no extraneous marking in the OMR Sheet.

3.8 The candidate should not tamper with or take away the OMR Sheet with him/her. He/she will be penalised for any attempt to do so.

3.9. The candidates should note that any omission/mistake/discrepancy in encoding /filling in details in the OMR sheet, especially with regard to Roll Number and Test Booklet Series Code, will render the OMR sheet liable for rejection.

ITEMS ALLOWED AND NOT ALLOWED IN THE HALL

4 The candidates are advised to bring theirown**Black Ball point pen**.Candidates must use only **Black Ballpoint pen**for marking responses on the OMR sheet.

4.1 **NO candidate is allowed to enter the venue with mobile phones and other IT gadgets, books, bags, valuables/ costly itemsetc and that no arrangement shall be made for keeping the same at the Venue. Any infringement of the above instructions shall entail disciplinary action including ban from future TESTs.**

4.2 Candidates are permitted to take with them after conclusion of the Recruitment Test, the Test Booklet issued to them.

4.3 Candidates are advised not to bring any personal/costly item to the test hall, as safe keeping of the same cannot be assured. Commission will not be responsible for any loss of such item.

GENERAL INSTRUCTIONS

5 The candidate must note that his/her admission to the Test is strictly "Provisional".

5.1 The mere fact that an e-Admit Card has been issued to him/her does not imply that the candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his/her application for the Test have been accepted by the Commission as true and correct.

5.2 The candidate must note that the Commission takes up the verification of eligibility conditions i.e. age, educational qualifications, community etc. with reference to original documents only of those candidates who qualify in the Recruitment Test. Unless the candidature is formally confirmed by the Commission, it continues to be "Provisional".

5.3 The candidate must also note that if subsequent to the issue of e-Admit Card, ineligibility is detected at any stage before or after the Test or if the conditions prescribed in the Rules and Instructions given in the advertisement or any other additional information/documents called for at any stage are not complied with within the time specified therein, the candidature would be rejected.

5.4 Travelling and other expenses must be borne by the candidate himself/ herself.

5.5 The Commission does not make arrangements for boarding and lodging of any candidate.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR PH CANDIDATES:

6 Recruitment Test for recruitment to: Nine vacancies for the post of Deputy Central Intelligence Officer (Technical)(DCIO/Tech) in Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs (SC-01, ST-01, EWS-02, UR-05). [Adv. No. 10/2024, Vacancy No. 24051020625].

The post is neither suitable nor reserved for PH Candidates.

Mobile Phones and all such IT Gadgets are banned in the test venue

Annexure-I

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs.............................. (name of the candidate with benchmark disability), a person with .... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o.................................., a resident of .... (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon /
Medical Superintendent of a Government Health Care Institution.

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual Impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Annexure-II

Letter of Undertaking for Using Own Scribe
(To be filled by the candidates online to the Commission)

I…………………, a candidate with……………………………… (name of the disability) appearing for the ……………………………………………. (name of the examination) bearing Roll No………………. at ………………………….. (name of the centre) in the District …………………, ………………. (name of the State). My qualification is …………………….

I do hereby state that ………………………………… (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ………………………….. In case, subsequently it is found that his/her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims thereto.

(Signature of the candidates with Disability)

Place:

Date:

Annexure-III

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.………………………………………………………… (name of the candidate), S/o / D/o ………………………………………………., a resident of ………………………………………… (Vill/PO/PS/District/State), aged……………yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe forwriting the examination.

a. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination, with the assistance of scribe.

b. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto ………………… (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority

Signature of medical authority

<table>
<tr><td>(Signature & Name)</td><td>(Signature & Name)</td><td>(Signature & Name)</td><td>(Signature & Name)</td><td>(Signature & Name)</td></tr>
<tr><td>Orthopedic/ PMR Specialist</td><td>Clinical psychology st/Rehabilitation Psychologist / Psychiatrist / Special Educator</td><td>Neurologist (if available)</td><td>Occupational therapist (if f available)</td><td>Other Expert, as nominated by the Chairperson (if any)</td></tr>
<tr><td colspan="5">(Signature & Name)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Chief District Medical Officer ..Chairperson</td></tr>
</table>

Name of Government Hospital /
Health Care Centre with seal

Place:
Date:

ANNEXURE-IV

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I……………………………………………………, a candidate with ……………………………………………………………………………… (nature of disability/condition) appearing for the ……………………………………………. (name of the examination) bearing Roll No………………. at …………………………………….. (name of the centre) in the District ………………………………, …………………………………. (name of the state). My educational qualification is ……………………………………………

2. I do hereby state that ....(name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is ……………… In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forefeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place:

Date:

फा.1/89(19)/2024/भ.-VI/एसपीसी-II

संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती शाखा
विशेष प्रकोष्ठ-II अनुभाग

निम्नलिखित भर्ती हेतु सम्मिलित भर्ती परीक्षण : आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय में उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी (तकनीकी) (डीसीआईओ/टेक) के पद के लिए नौ रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, ईडब्ल्यूएस-02, अना.-05)। [विज्ञापन संख्या 10/2024, रिक्ति संख्या 24051020625]।

समय-सारणी एवं उम्मीदवारों को अनुदेश

कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, किसी भी अनुदेश का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार के विरुद्ध आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है। **{उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अनुदेशों की यह प्रति संदर्भ के लिए परीक्षण (भर्ती परीक्षण) हॉल में साथ लाएं}**

समय-सारणी

तारीख तथा दिन	भारतीय मानक समय	विषय एवं विषय कोड
20 अक्टूबर, 2024 (रविवार)	**अपराह्न 02.00 बजे से** अपराह्न04.00 बजे तक	जीएटी-डीसीआईओ(04)

टिप्पणी:

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों के रिपोर्ट करने का समय परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 90 मिनट (डेढ़ घंटा) पहले है।

परीक्षण-स्थल पर प्रवेश, भर्ती परीक्षण के प्रारंभ होने के निर्धारित समय से30 मिनट पहले, अर्थात अपराह्न 01.30 बजे तक बंद कर दिया जाएगा।

उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रवेश के लिए परीक्षण हॉल में अपने ईप्रवेश-पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंट आउट) अवश्य साथ लाएं। जो उम्मीदवार आबंटित परीक्षण स्थल पर जांच हेतु अपना ई-प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, उसे परीक्षण देने अनुमति नहीं दी जाएगी।

I. परीक्षण की योजना:

(क) परीक्षण दो घंटे की अवधि का होगा।
(ख) सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।
(ग) परीक्षण में बहु-विकल्पीय उत्तर वाले वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।
(घ) परीक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा।
(ड़) गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के कुल अंकों के एक तिहाई अंक काट लिए जाएंगे। यदि किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर चिह्नित नहीं किया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा।
(च) उक्त परीक्षण अधिकतम 300 अंकों का होगा

II. परीक्षण का पाठ्यक्रम:

1) इंजीनियरी अभिरुचि, तार्किक क्षमता एवं विश्लेषणात्मक योग्यता सहित।
2) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सर्किट।
3) डिजिटल इलेक्ट्रॉनिकी।
4) कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डेटा संरचना।
5) एनालॉग और डिजिटल संचार।
6) माइक्रोवैव इंजीनियरी, रडार प्रणाली।
7) उपग्रह संचार।
8) सिग्नल और प्रणाली, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग।
9) कंप्यूटर संघटन और प्रचालन प्रणाली।
10) कंप्यूटर नेटवर्क और साइबर सुरक्षा।
11) बेतार संचार और नेटवर्क।
12) कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
13) इंटरनेट ऑफ थिंग्स।

III. परीक्षण का अंकभार:

भर्ती परीक्षण तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। भर्ती परीक्षण और साक्षात्कार का अंकभार क्रमश 75:25 होगा। भर्ती परीक्षण के आधार पर लघुसूचीबद्ध किए गए तथा पद के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणियां:

क. उम्मीदवार उसी परीक्षण-स्थल पर परीक्षण दें, जिसका उल्लेख उनके ई-प्रवेश पत्र में किया गया है। यदि उम्मीदवार किसी और परीक्षण -स्थल पर परीक्षण देता है, तो उसकी उम्मीदवारों रद्द की जा सकती है।

ख. भर्ती परीक्षण में लघु -सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के संबंध में संवीक्षा , संबंधित पद हेतु ऑन-लाइन आवेदन पत्र (ओआरए) को भरते समय उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवारों को, छूट गए दस्तावेजों को ई -मेल के माध्यम से भेजने के लिए कहा जाएगा। उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उक्त पदों हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

ग. उम्मीदवारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी पर भर्ती परीक्षण दें अर्थात वे इस बात की पुष्टि कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित अहर्ताओं को पूरा कर रहे हैं और परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतया "अनंतिम" है।

उम्मीदवारों को अनुदेश

ई-प्रवेश पत्र:

1 **आयोग की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र, परीक्षा की तारीख के एक सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे।**

1.1 ई-प्रवेश पत्र को डाउनलोड करने के तत्काल पश्चात उम्मीदवार इसकी ध्यानपूर्वक जांच करें और विसंगतियां, यदि कोई हों, पाए जाने पर उन्हें अविलंब संघ लोक सेवा आयोग क ध्यान में लाएं। परीक्षण के विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। विसंगतियों के मामले में प्रयास किए जाएंगे कि संशोधित ई-प्रवेश पत्र यथाशीघ्र अपलोड कर दिए जाएं। उम्मीदवार ई -प्रवेश पत्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण अनुदेशों को ध्यानपूर्णवक पढ़ लें। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवार अपने ई -प्रवेश पत्र की मुद्रित प्रति (प्रिंट आउट) साथ लेकर आएं। जिन उम्मीदवारों के ई -प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है , वे भर्ती परीक्षण में प्रवेश के लिए अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ और परिवचनबंध सहित अपना फोटो पहचान -पत्र जैसे आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान -पत्र आदि साथ लाएं। **जो उम्मीदवार आबंटित परीक्षा -स्थल पर जांच हेतु अपना ई -प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा , उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

1.2ई-प्रवेश-पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उम्मीदवार की है। यदि कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए इस ई-प्रवेश-पत्र का इस्तेमाल करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व उम्मीदवार का होगा कि उसने किसी प्रतिरूपधारक की सेवा नहीं ली है और उम्मीदवारई रद्द कर दी जाएगी और वह अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा/होगी।

1.3 उम्मीदवार को अपने साथ केवल ई-प्रवेश पत्र, कलम, पहचान-पत्र, स्वयं की फोटो की प्रतियां और ई-प्रवेश पत्र के अनुदेशों में उल्लिखित कोई अन्य सामग्री को ही लाने की अनुमति होगी।

1.4 उम्मीदवार ई-प्रवेश पत्र परीक्षण हॉल में अवश्य लाएं। परीक्षण हॉल में प्रवेश करने बाद , उम्मीदवार दिए गए अनुदेशों के अनुसार उपस्थिति सूची भरें और उसमें हस्ताक्षर करें। यह सूची उन्हें निरीक्षक द्वारा प्रदान की जाएगी। हस्ताक्षर करने बाद उम्मीदवार उपस्थिति सूची, निरीक्षक को सौंप दें।

1.5 उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए उत्तर पुस्तिका के विनिर्दिष्ट स्थान में उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करना होगा। कच्चे काम के लिए प्रवेश पत्र की प्रति अथवा अन्य कोई जगह/शीट का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

1.6 किसी भी अनुदेश (शों) का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के साथ-साथ, आयोग द्वारा उम्मीदवार के विरुद्ध परीक्षण की नियमावली के अंतर्गत कोई अन्य उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।

<u>भर्ती परीक्षण का आयोजन:</u>

2 उम्मीदवारों के बैठने की योजना भर्ती परीक्षण के दिन परीक्षण-स्थल पर प्रदर्शित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल /कक्ष तक जाने से पहले इस बात की जांच कर लें कि उनके बैठने का स्थान कहां निर्धारित किया गया है।

2.1 उम्मीदवारों को उन्हें प्रदान की गई ओएमआर शीट की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और श्रृंखला का अंकन, निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई उपस्थिति सूची में करना होगा।

2.2 उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे फ्रिस्किंग हेतु , परीक्षण-स्थल पर पर्याप्त समय रहते पहुंचे। उम्मीदवारों को परीक्षण प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 90 मिनट/1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार अपने अनुक्रमांक के अनुसार निर्धारित सीट पर तत्काल बैठ जाएंगे।

2.3 उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर अंकित करेंगे।

2.4 ओएमआर शीट की आपूर्ति, परीक्षा हॉल में निरीक्षक द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को कच्चे काम के लिए अलग से कोई शीट प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि कच्चे कार्य के लिए खाली शीटें, परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न की गई हैं।

2.5 उम्मीदवार काले बॉल पॉइंट पेन से, उपयुक्त गोले को काला करके, स्वयं उत्तरों का अंकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उत्तरों का अंकन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की मदद लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.6 उम्मीदवार न तो किसी अन्य उम्मीदवार के पेपर से नकल करेंगे, ना ही अपने पेपर से नकल करने की अनुमति देंगे। किसी भी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ओएमआर शीट पर किसी और प्रकार का निशान **नहीं** लगाया जाना चाहिए।

2.7 कोई भी उम्मीदवार **ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक /पर्यवेक्षक** की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन से परीक्षण हॉल के बाहर नहीं जाएगा।

2.8 शौचालय जाते समय उम्मीदवार अपनी ओएमआर शीट को पलट कर रखेगा। **इसके अतिरिक्त, परीक्षा-स्थल का एक कार्मिक उम्मीदवार की जांच करेगा कि उसके पास कोई अनावश्यक सामग्री यथा मोबाइल, पेजर, प्रश्न-पुस्तिका का कोई फटा हुआ कागज आदि तो नहीं है और परीक्षा-स्थल का एक कार्मिक उसके साथ जाना चाहिए। इसके अलावा, परीक्षा के आयोजन के दौरान उम्मीदवारों पर नजर रखने तथा उनके द्वारा शौचालय में बिताए जा रहे समय के संबंध में निगरानी हेतु परीक्षा -स्थल के प्रत्येक शौचालय के बाहर एक कार्मिक तैनात किया जाना चाहिए।**

2.9 आबंटित समय के पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.10 किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

2.11 परीक्षण प्रारंभ होने के समय तथा इसकी आधी अवधि पूरी होने पर और फिर समय समाप्ति से पांच मिनट पहले सिग्नल दिया जाएगा। परीक्षण का आबंटित समय समाप्त होने के समय अंतिम सिग्नल भी दिया जाएगा। पेपर के लिए आबंटित समय समाप्त होने के बाद कोई भी उम्मीदवार अपने उत्तरों का अंकन अथवा उनमें संशोधन नहीं करेगा।

2.12 भर्ती परीक्षण सम्पन्न होने के बाद उम्मीदवार तब तक अपनी सीट पर बने रहेंगे जब तक कि उनकी ओएमआर शीट निरीक्षक द्वारा ले नहीं ली जाती है और उन्हें बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं कर दी जाती। आबंटित समय के पूरा होने के बाद उम्मीदवार आपस में बातचीत नहीं करेंगे।

2.13 परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर निकलने के बाद उम्मीदवार परीक्षण हॉल /कक्ष के ठीक बाहर भीड़ नहीं करेंगे या घूमेंगे-फिरेंगे नहीं।

2.14. परीक्षण हॉल/कक्ष में पूरे समय शांति बनाए रखें।

2.15. उम्मीदवार परीक्षण पुस्तिका के कवर पर तथा **ओएमआर** शीट में दिए गए अनुदेशों के साथ-साथ ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे, जो पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा परीक्षण के दौरान दिए जा सकते हैं। यदि उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहता है अथवा अव्यवस्था फैलाता है या अनुचित आचरण करता है, तो उसे

परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा /अथवा आयोग के विवेकानुसार उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है।

2.16 उम्मीदवार, परीक्षा भवन में निरीक्षक/सहायक पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/ इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मांगी गई आवश्यक और सही सूचनाएं प्रदान करेंगे।

ओएमआर/परीक्षण पुस्तिकाओं के संबंध में अनुदेश:

3.1 **ओएमआर** शीट पर निर्धारित स्थान पर काले बॉल पॉइंट पेन से केंद्र, विषय, विषय कोड, परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखलातथा अपना अनुक्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित करें। **ओएमआर** शीट में इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए गोलों में काले बॉल पॉइंट पेन से पुस्तिका की श्रृंखला, विषय कोड तथा अपने अनुक्रमांक का अंकन करें।

3.2 परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला, परीक्षण पुस्तिका के ऊपरी हिस्से के दाएं कोने पर दी गई है। **ओएमआर** शीट के ऊपरी हिस्से में दिए बॉक्स पर इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन (एनकोडिंग) करें कि आपकी परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला A, B, C, या D है। यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका की श्रृंखलामुद्रित नहीं है, अथवा आपकी ओएमआर शीट पर संख्या अंकित नहीं है तो कृपया इसकी जानकारी संबंधित निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और अपनी परीक्षण पुस्तिका/ओएमआर शीट को बदलवाएं।

3.3 प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला की एनकोडिंग वही होनी चाहिए, जो निरीक्षक द्वारा **ओएमआर** शीट के बाएं कोने मे निर्धारित स्थान पर की गई हो। यह एनकोडिंग परीक्षण पुस्तिका के कवर पेज पर मुद्रित श्रृंखलाके संदर्भ में होनी चाहिए।

3.4 अनुक्रमांक लिखने में किसी प्रकार के संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में, उम्मीदवार के साथ -साथ निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यह पर्यवेक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित भी होना चाहिए।

3.5 परीक्षा प्रारंभ होने के तत्काल बाद उम्मीदवारों को चाहिए कि वह उन्हें प्रदान की गई परीक्षण पुस्तिका के संबंध में यह जांच लें और सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई पृष्ठ अमुद्रित अथवा फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ अथवा अन्य सामग्री गायब नहीं है और यदि ऐसा हो तो इसकी जानकारी निरीक्षक को तत्काल प्रदान करें और इसके स्थान पर उसी श्रृंखलाकी पूर्ण परीक्षण पुस्तिका प्राप्त करें।

3.6 उम्मीदवार मांगी गई सूचना के अतिरिक्त ओएमआर शीट /परीक्षण पुस्तिका पर अपना नाम या किसी प्रकार की और कोई बात नहीं लिखेगा।

3.7 उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि हैंडलिंग के दौरान ओएमआर शीट न मुड़े, न फटे और न ही किसी अन्य प्रकार से खराब हो। ओएमआर शीट पर किसी प्रकार की बाहरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए।

3.8 उम्मीदवार को ओएमआर शीट किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए या अपने साथ ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

3.9. उम्मीदवार यह नोट करें कि ओएमआर शीट में विवरण भरने /अंकित करने मामले में, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखलाकोड करने संदर्भ में, किसी प्रकार की चूक /गलती/विसंगति की स्थिति में ओएमआर शीट को अस्वीकृत किया जा सकता है।

परीक्षा हॉल में किस सामान की अनुमति है तथा किसकी नहीं है।

4 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना **काला बॉल पॉइंट पेन** साथ लाएं। उम्मीदवार, उत्तर पुस्तिका पर उत्तरों का अंकन करने के लिए केवल **काले बॉल पॉइंट पेन** का ही इस्तेमाल करें।

4.1 **किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा -स्थल पर मोबाइल फोन और अन्य आईटी गैजेटों , पुस्तकों, बैग, मूल्यवान/कीमती सामग्री आदि के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और परीक्षा -स्थल पर इन सामग्रियों को रखने का कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है , जिसमें भविष्य में आयोजित किए जाने वाले परीक्षणों पर प्रतिबंध शामिल है।**

4.2 भर्ती परीक्षण समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को , उन्हें दी गई परीक्षण पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी।

4.3 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे व्यक्तिगत /कीमती सामान परीक्षण भवन में न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

सामान्य अनुदेश

5 उम्मीदवार यह नोट करें कि परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः "अनंतिम" है।

5.1 उम्मीदवार को मात्र ई -प्रवेश-पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से मान ली गई है अथवा आवेदक द्वारा परीक्षण हेतु उसके आवेदन प्रपत्र में दर्ज की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सत्य और सही रूप में स्वीकार कर ली गई है।

5.2 उम्मीदवार यह नोट करें कि आयोग मूल दस्तावेज से केवल उन उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तों, अर्थात आयु, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय आदि का सत्यापन करता है , जो भर्ती परीक्षण में अर्हक होते हैं। जब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी की औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती है तब तक उसकी उम्मीदवारी "अनंतिम" बनी रहती है।

5.3 उम्मीदवार यह भी नोट करें कि ई -प्रवेश-पत्र जारी करने के पश्चात किसी भी चरण अथवा परीक्षण के पहले या बाद में किसी अपात्रता का पता चलता है या विज्ञापन में दिए गए नियमों और अनुदेशों में निर्धारित शर्तों या किसी चरण में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी /दस्तावेजों का निर्धारित समय -सीमा के भीतर अनुपालन नहीं किया गया है तब उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

5.4 यात्रा संबंधी या अन्य प्रकार के व्यय का वहन उम्मीदवार स्वयं करेंगे।

5.5 आयोग किसी भी उम्मीदवार के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था नहीं करता है।

पीएच उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

6 निम्नलिखित भर्ती हेतु भर्ती परीक्षण : आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय में उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी (तकनीकी) (डीसीआईओ/टेक के पद हेतु नौ रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, ईडब्ल्यूएस-02, अना.-05)। [विज्ञापन सख्या 10/2024, रिक्त संख्या 24051020625]

यह पद पीएच उम्मीदवारों के लिए ना तो उपयुक्त है और ना ही आरक्षित है।

मोबाइल फोन तथा इस प्रकार के आईटी गैजेट्स परीक्षण-स्थल पर प्रतिबंधित हैं।

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लेखन संबंधी शारीरिक सीमा दर्शाने वाले प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती.. (बैंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), जो .... (दिव्यांगता प्रमाण -पत्र में उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से ग्रस्त व्यक्ति हैं , पुत्र/पुत्री.., निवासी .... (ग्राम/जिला/राज्य) हैं, की जांच की है और उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त दिव्यांगता इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य देख-भाल संस्था का मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक

नोट: प्रमाण -पत्र, संबंधित विषय /दिव्यांगता (जैसे दृष्टि बाधित – नेत्र रोग विशेषज्ञ , लोकोमोटर दिव्यांगता – हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया होना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के स्क्राइब का प्रयोग करने हेतु वचन-बंध

(उम्मीदवारों द्वारा ऑन-लाइन भरकर आयोग को प्रस्तुत किया जाए)

मैं, ..., ... (दिव्यांगता का नाम) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूँ , जो .... (परीक्षा का नाम) अनुक्रमांक ...., ... (परीक्षा केंद्र का नाम) जिला ...., ... (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता .... है।

मुझे एतद्द्वारा यह कहना है कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से ....(स्क्राइब का नाम) स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि इनकी योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है , तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा /करूंगी।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध-III

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण जो आरपीडब्ल्यूडी ,पत्र-अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) 2 परंतु उक्त अधिनियम की धारा , की परिभाषा के तहत शामिल हैं (आर की परिभाषा के तहत (शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री श्रीम/सुश्री/ती ....(उम्मीदवार कानाम ,(पुत्र पुत्री/.., निवासी .... (ग्राम(राज्य/जिला/ पुलिस थाना/ पोस्ट ऑफिस/, आयु .... वर्ष की जांच की हैजो से ग्रस् (स्थिति/दिव्यांगता की प्रकृति) ....त व्यक्ति हैं और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

क. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल ,का उपयोग करता है (होने के लिए अनिवार्य हैं।

ख. यह प्रमाण केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में ,पत्र-शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है .... के , जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए , यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि) (लिए मान्य है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर) (एवं नाम	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	हस्ताक्षर एवं) (नाम	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ / पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी क्लीनिकल) /(साइकोलॉजिस्ट पुनर्वास मनोविज्ञानी रिहैबिलिटेशन) मनोरो/(साइकोलॉजिस्ट विशेष शिक्षक/ग विज्ञानी (स्पेशल एड्यूकेटर)	न्यूरोलॉजिस्ट यदि) (उपलब्ध है	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट यदि) (उपलब्ध है	अन्य विशेषज्ञ , अध्यक्ष द्वारा यथा यदि कोई) नामित (हो
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/.....................अध्यक्ष ...				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/
स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:
दिनांक:

फा.1/89(19)/2024/भ.-VI/एसपीसी-II

अनुबंध-IV

विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम , ,2016 की धारा 2(एस की परिभाषा के ( ) 2 परंतु उक्त अधिनियम की धारा ,तहत शामिल हैं आर की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् (40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं ....) .... ,दिव्यांगता की प्रकृति से ग्रसित एक (स्थिति/ में अनुक्रमांक (परीक्षा का नाम) .... जो , उम्मीदवार हूं जिला (परीक्षा केन्द्र का नाम) .... ,............. में शामिल हो रहा हूं। मेरी (राज्य का नाम) .... ,.................. है। .... शैक्षणिक योग्यता

.2 मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी कीओर से स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा। (स्क्राइब का नाम) ....

.3 यदि बाद में यह पता चलता है कि ,है .... मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता इनकीयोग्यताअधोहस्ताक्षरीकीघोषणाकेअनुसारनहींहैऔरमेरीयोग्यतासेअधिकहैतोमैंइसपदकेलिएअपनेअधिकारया प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्रीतथाअपनेदावेकाप्रयोगनहींकरूंगा/करूंगी।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:
दिनांक: